न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया
पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 491/2024

वाद अ. धारा 88 आर.टी.ए.

जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुखपाल सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादी

बनाम्

1. नक्षत्र सिंह पुत्र श्री हजूर सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. सुखपाल सिंह पुत्र श्री नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. गुरजीत कौर पुत्री श्री नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. मलकीत कौर पुत्री श्री नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. सिमरन कौर पुत्री श्री सुखपाल सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

उपस्थिति :–

वादीगण की ओर से :– श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :– श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :– 29.8.2024

वादी जितेन्द्र सिंह ने प्रतिवादीगण नक्षत्र सिंह वगैरा के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि प्रतिवादी सं. 1 वादी का दादा, प्रतिवादी सं. 2 वादी का पिता, प्रतिवादी सं. 3 व 4 वादी की बुआ एवं प्रतिवादी सं. 5 वादी की बहिन है जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 5 के दादा, प्रतिवादी सं. 2 ता 4 के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 10 एम. जे.डी. के खाता सं. 84/11 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में 6.325 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खाता की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपियां सलंग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। जिसमें प्रतिवादी सं. 1 ता 5 ने अपने हक व हिस्सा का परित्याग वादी के पक्ष में बंटवारा अनुसार कर दिया। अब प्रतिवादी सं. 1 ता 5 का उक्त कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा शेष नही रहा है। क्योकि प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि अन्य चको में प्राप्त कर ली है तथा प्रतिवादी सं. 3 ता 5 की शादी अच्छे खानदान में कर दी है वह अपने ससूराल में राजीखुशी जीवन [illegible] कर रहे [illegible] को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से हैं:–

(क) **वादी जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुखपाल सिंह जाति [illegible] सिखान तहसील संगरिया जिला** हनुमानगढ़(राज.) [illegible] हिस्सा व कब्ज़ा [illegible] **की कृषि भूमिः–**

तहसील संगरिया के चक 10 एम.जे.डी. के खाता सं. 84/11 जमाबन्दी सम्वत 2070–73 में 6.325 है. कृषि भूमि

यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं

लगातार --2

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh K Meena
Date: 2024.09.09 14:54:53 I
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 ता 5 टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 5 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये, जो शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी सं. 6 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 10 एम.जे.डी. के खाता सं. 84/11 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 की प्रति पेश की गई जो प्रदर्श-1 है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र. सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नही है। प्रतिवादी सं. 1 ता 5 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये। वाद पत्र में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 5 ने सहमति के जवाब दावे अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादी सं. 5 के दादा, प्रतिवादी सं. 2 ता 4 के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 10 एम.जे.डी. के खाता सं. 84/11 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 6.325 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 1 ता 5 द्वारा सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत करने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र मुताबिक सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः वाद वादी मुताबिक वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 द्वारा प्रस्तुत सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाता है कि वादी के दादा प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 10 एम.जे.डी. के खाता सं. 84/11 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 6.325 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे।

नोटः- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक .... को मेरे लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh K Meena
Date: 2024.09.09 14:54:53
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीणा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारीः- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 491/2024

जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुखपाल सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादी

बनाम्

नक्षत्र सिंह पुत्र श्री हजूर सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

सुखपाल सिंह पुत्र श्री नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

गुरजीत कौर पुत्री श्री नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

मलकीत कौर पुत्री श्री नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

सिमरन कौर पुत्री श्री सुखपाल सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :- 29.8.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ **राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)** के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी **श्री महावीर बेरड़** वकील वादी मिन जामिन मुदई **श्री कुलदीप मुण्ड** वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 5 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि वादी के दादा प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 10 एम.जे.डी. के खाता सं. 84/11 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 6.325 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज ......X...... निल ......X...... मुब्लिक ......X......निल ......X...... बाबत् ......X...... निल......X...... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ......X......को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज **दिनांक** 29.8.2024 को जारी किया जाता है।

(राकेश कुमार मीना)

सहायक कलेक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी(राज.)

संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena

Date: 2024.09.09 14:54:53 IST

Reason: SelfAttested